संख्या 978 /उन्तीस(2)/17–2(96पे0)/2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

**पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2** **देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2017**

**विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर (नगरीय) के अन्तर्गत चालू कार्यो हेतु एकमुश्त अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2307/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2017–18 दिनांक 01.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नगरीय के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्य सम्पादित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 177.08 लाख (₹ एक करोड़ सतत्तर लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन में उन योजनाओं जिनमें कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 80 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कार्य पूर्ण होनें की स्थिति में है, को वरीयता दी जाय।

(v) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाय। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाय।

.....2

(vii) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तो यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– 01– जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण (के0स0)–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1707131092 दिनांक 18.07.2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 978 (1)/उन्तीस(2)/17–2(96पे0)/2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।